30/5/24 पत्रावली पेश हुई। वादी/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 20/11/24 को पेश हो।

20/11/24 पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अप्रार्थी सं. 1, 2, 4 ता 6 की तामील हो चुकी है, बावजूद तामील हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 ता 6 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधि. अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुने जाने का अनुरोध किया। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई, बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि पर प्रार्थी के हित निहित हैं। विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन होने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते हैं। अतः अप्रार्थीगण को दौराने वाद विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबन्द किया जाना उचित है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 1880/842, 1884/843, 1887/802, 1889/800, 1893/786 कुल किता 5 कुल रकबा 2.11 हैक्टर व भूमि ख.नं. 1878/842, 1879/842, 1881/843, 1891/786, 1895/787, 841 कुल किता 06 कुल रकबा 0.54 हैक्टर वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तह. व जिला सीकर की भूमि पर तादौराने वाद मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। फाईल कौशल कुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर